

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./
प्रति,

410

/2019/रायगढ़, दिनांक - 14-02-19

उपमहाप्रबंधक,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
ग्राम एवं पोस्ट कोतरा, नन्देली मार्ग
जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विषय :- **Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for Construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsuguda- Dharamjaygarh Transmission line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.**

संदर्भ :-
1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./1373 रायगढ़ दिनांक 17.10.2018
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-135/4034 दिनांक 12/12/2018

उपरोक्त विषयांतर्गत वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के पत्र क्रमांक/FC-III/CH-09/2016-NGP/4067 दिनांक 08.08.2018 के निर्देशानुसार भारत सरकार के अनुमति के बिना उपयोग किये गये वन क्षेत्र 0.392 हे. वन भूमि की प्रत्याशा मूल्य प्रति हे.803000/- की दर से उक्त क्षेत्र के दुगने की 20 प्रतिशत का दाण्डिक राशि रुपये 125910/- की मांग की गई थी जिसमें उक्त राशि का डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 102382 दिनांक 20.12.2018 अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम प्रेषित कर दिया गया है। परन्तु संदर्भित पत्र क्रमांक-2 की कंडिका 4.0 के निर्देशानुसार उक्त राशि को केम्पा खाता में चालान जनरेट कराकर परिवेश पोर्टल में दिये गये Payment Gateway में अपलोड करते हुए भुगतान आनलाईन किया जाना है।

अतः राशि 125910/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 102382 दिनांक 20.12.2018 मूलतः आपको वापस किया जाता है। उपरोक्तानुसार राशि केम्पा खाता में जमा कर रसीद की प्रति प्रेषित करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र -2 की छायाप्रति।


वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़